यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या : 1697/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु0–3/एम–4/फोर्टिस एस्कोर्ट   दिनांक 21.4.16

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन सं0 4086/यूजेवीएन लि/05/औ0सं0/एम–4 दिनांक 30.04.2014 एवं श्री सन्दीप सिंह, फैसिलिटी डायरेक्टर, फोर्टिस एस्कोर्ट हास्पिटल, द्वितीय तल, कोरनेशन हास्पिटल परिसर, देहरादून के पत्र सं0 शून्य दिनांक 10.03.2016 द्वारा दी गई लिखित सहमति के क्रम में **फोर्टिस एस्कोर्ट हास्पिटल, द्वितीय तल, कोरनेशन हास्पिटल परिसर, देहरादून** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती/बाहय रोगी की हैसियत से कराये जाने वाले उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **दिनांक 01.05.2016 से दिनांक 30.04.2018 तक 2 (दो) वर्ष के लिये** मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

2. उक्त चिकित्सालय हृदय रोग सम्बन्धी उपचार पर संलग्न दर सूची में दर्शाई गई दरों पर वाहय रोगी के रूप में 20 (बीस) प्रतिशत, भर्ती रोगी के रूप में (इम्प्लान्ट को छोड़ कर) **10 (दस) प्रतिशत**, पैथोलोजी परीक्षणों पर **10 (दस) प्रतिशत** एवं भर्ती रोगी की दशा में वार्ड (रूम) रैन्ट पर **20 (बीस) प्रतिशत छूट** प्रदान करते हुए सम्बन्धित कार्मिक से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा। चिकित्सालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10.03.2016 की छाया प्रति भी संलग्न हैं।

3. उक्त प्रस्तर 2 में वर्णित दर सूची **दिनांक 30.04.2018** तक की अवधि के लिये मान्य होगी तथा चिकित्सा दर सूची में दर्शाई गई दरें इस अवधि में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

4. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं 4452–ओस–17/पाकालि/2002–।।(।।)एफ/80 दिनांक 09.12.2002 के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों का उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता निम्न बिन्दुओं पर कभी भी समाप्त की जा सकती हैं एवं उक्त आदेश के बिन्दु 06 की व्यवस्था के अनुसार चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा प्रदत्त दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पारित प्रतिबंन्धों/शर्तो का उल्लघंन करने पर मान्यता समाप्त किये जाने की सहमति **(प्रारूप संलग्न)** रू0 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
   1 उपरोक्त आदेशों के अनुसार प्रदान की गई मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
   2 किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत का समाधान न होने पर।
   3 दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, किन्तु वह अस्पताल के बिल में सम्मिलित हैं, को मान्यता का उल्लघन माना जायेगा।
   4 अगर अस्पताल पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता हैं, तो उसकी सूचना तुरन्त दी जायेगी।
   5 अगर किसी अस्पताल के विरूद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने पर उनका समाधान न होने पर।

5. उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(हस्ताक्षर) 21/4/16

निदेशक (मा0सं0)

AE(RD)
Pl. uploaded on website
22/4/16
SMDT

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
UJVNL
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या: 2271/यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु0–03/एम–4/स्वास्तिक दिनांक 21.4.16

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन सं0 2765/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु0–3/एम–4 दिनांक 04.05.2012 के अनुक्रम में **स्वास्तिक अस्पताल, लोहियाहैड रोड़, खटीमा (उधमसिंह नगर)** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु यूजेवीएन लि0 द्वारा गठित समिति की दिनांक 07.04.2016 की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.04.2014 (पूर्व अवधि दिनांक 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी हैं) से आगामी दो वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि हेतु निरन्तरता प्रदान करते हुए आगामी दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

2. उक्त चिकित्सालय संलग्न दर सूची में दर्शाई गई दरों पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं 4452–ओस–17/पाकालि/2002–।।(।।)एफ/80 दिनांक 09.12.2002 के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों का उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता निम्न बिन्दुओं पर कभी भी समाप्त की जा सकती हैं एवं उक्त आदेश के बिन्दु 06 की व्यवस्था के अनुसार चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा प्रदत्त दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पारित प्रतिबंन्धों/शर्तो का उल्लघंन करने पर मान्यता समाप्त किये जाने की सहमति **(प्रारूप संलग्न)** रू0 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
   1. उपरोक्त आदेशों के अनुसार प्रदान की गई मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
   2. किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत का समाधान न होने पर।
   3. दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, किन्तु वह अस्पताल के बिल में सम्मिलित हैं, को मान्यता का उल्लघन माना जायेगा।
   4. अगर अस्पताल पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता हैं, तो उसकी सूचना तुरन्त दी जायेगी।
   5. अगर किसी अस्पताल के विरूद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने पर उनका समाधान न होने पर।

4. उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

ABCD/ Pl. uploaded on website
22/4/16 SM-II

A.Awasthi 21/4/16

निदेशक (मा0सं0)

क्रमशः........2

Lohiahead, Khatima (Uttarakhand)
e-mail : swastikhospitalpvtltd@yahoo.in

Charges

OPD Charge :

Dr Umesh Kumar (DNB	Rs. 100/- Only (Valid for 5 days)
Dr Renu Singh (MS)	Rs. 100/- Only (Valid for 5 days)
Dr. Pawan Agrwal, (MS), MCh.	Rs. 100/- Only (Valid for 1 day)
Dr. O.P.Prashad (MCh) (Neuro surgery)	Rs. 300/- Only (Valid for 1 day)

Emergency OPD Charges are Rs.200/- for Regular Consultants.

Investigation Charges :

USG Whole abdomen	-	Rs. 400/-
USG Upper/Lower "	-	Rs. 350/-
USG TVS "	-	Rs. 500/-
X-Ray (General)	-	Rs. 150/- per film
X-Ray IVP	-	Rs. 600/-
ECG	-	Rs. 120/-
Endoscopy	-	Rs. 1500/- per test
Bronchoscopy	-	Rs. 2400/- per test
Spirometry	-	Rs. 400/- per test
Pathology	-	Varies test to test (List included)

Indoor Charges :

General Ward	-	Rs. 500/- { including bed charges +Doctor Visit (2)}
Emergency Ward	-	Rs. 800/- {including bed charges +Doctor Visit (2)}
Private Room	-	Rs. 800/- {including bed charges +Doctor Visit (2)}
ICU	-	Rs. 3000/- {including bed charges +Doctor Visit (2)}
Nursing Care	-	Rs. 100/- Per day
Drip Charges	-	Rs. 30/- Per drip
Blood Transfusion	-	Rs. 400/- Per unit
R.T. Feeding	-	Rs. 100/- Per day
Enema	-	Rs. 100/- one time
Folley's	-	Rs. 100/-
Room heater/Blower	-	Rs. 400/- per day
Card.&M.Para Monitor	-	Rs. 500/- Per day
Ventilator	-	Rs. 2500/- Per day
Pulse Oxymeter	-	Rs. 500/- Per day
Syringe Pump	-	Rs. 400/- Per day
Oxygen (2 litr/min.)	-	Rs. 30/- per hour.
Oxygen (5 litr/min.)	-	Rs. 50/- per hour.
Oxygen (10 litr/min.)	-	Rs. 100/- per hour.
Oxygen (15 litr/min.)	-	Rs. 150/- per hour.
Nebulizer	-	Rs. 50/- one time
Dressing (Small)	-	Rs. 50/-
Dressing (Large)	-	Rs. 100/-
Delivery Charges	-	Rs. 5000/-
Pleural Biopsy	-	Rs.1500/-
Pleural &Ascitic Fluid Taping	-	Rs.1200/-
CVP Line insertion	-	Rs.1000/-
Arterial Line insertion & sampling	-	Rs.500/-
L.P. Charges	-	Rs.800/-
Intubation	-	Rs.1000/-
Gastric Lavage	-	Rs.1000/-
Defibrillation	-	Rs.1000/-

SWASTIK HOSPITAL PVT. LTD. KHATIMA

2/4/16
(पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा)
अनुभाग अधिकारी
मानव संसाधन विभाग
यूजेवीएन लि., देहरादून

Lohiahead, Khatima (Uttarakhand)
e-mail : swastikhospitalpvtltd@yahoo.in

PATHOLOGICAL INVESTIGATION CHARGES

	Test	Rs.
1-	HB %	30/-
2-	TLC	30/-
3-	DLC	30/-
4-	ESR	30/-
5-	PCV	50/-
6-	PLATELET COUNT	60/-
7-	BT+CT	60/-
8-	PT	50/-
9-	PC	50/-
10-	INR	100/-
11-	PBS.MP	50/-
12-	MALARIA PF,PV (CARD)	250/-
13-	ABO.RH	30/-
14-	GBP	50/-
15-	APTT	100/-
16-	BLOOD SUGAR	30/-&50/-
17-	S.UREA	70/-
18-	S.CREATININE	70/-
19-	S.CHOLESTROL	150/-
20-	S.TRIGLYCERIDE	150/-
21-	HDL	100/-
22-	LDL	100/-
23-	VLDL	100/-
24-	S.URIC ACID	70/-
25-	S.BILURUBIN	70/-
26-	S.ALK.PHOS.	100/-
27-	S.ACID.PHOS.	200/-
28-	SGOT	70/-
29-	SGPT	70/-
30-	CPK	150/-
31-	CPK-MB	350/-
32-	S.PROTIEN+ALB.	150/-
33-	S.AMYLASE	200/-
34-	S.LYPASE	450/-
35-	S.NA+	100/-
36-	S.K+	100/-
37-	S.CA+	100/-
38-	S.MG+	100/-
39-	WIDAL	70/-
40-	VDRL	100/-
41-	HBS.AG	150/-
42-	RA.FACTOR	70/-
43-	HIV	200/-
44-	C-REACT.PROTIEN	150/-
45-	TROPONIN I	1000/-
46-	CSF,PL.FLUID,ASCITIC.FL.	250/-
47-	PUS,SPUTAM,BRONCH.FL	250/-
48-	PPD(MONTX.)	50-
49-	URINE R&M	50/-
50-	URINE PREG.(CARD)	70/-
51-	URINE SUGAR	30/-
52-	STOOL R&M	70/-
53-	STOOL (OCCULT BLOOD)	100/-
54-	SEMAN ANALYSIS	150/-
55-	L.F.T. (S.BIL.T&D,SGPT.SGOT,HBSAG, ALK.PHOS., ACID PHOS.,S.PROTEIN,S.ALB.)	650/-
56-	R.F.T. OR K.F.T. (URINE R&M,S.UREA,S.CREAT. S.NA+,S.K+,S.CA+)	450/-
57-	LIPID PROFILE (S.CHOLEST.,S.TRIGLYCERIDE, HDL.LDL.VLDL)	450/-
58-	T.B. CARD	200/-
59-	H.C.V.	250/-
60-	SPUTUM FOR SLIDE(AFB)	100/-
61-	C.B.C	150/-

SWASTIK HOSPITAL PVT. LTD. * [illegible]

2/5/16
(पुष्पेन्द्र [illegible])
अनुज्ञापन अधिकारी
मानव संसाधन विभाग
यूजेवीएन लि., देहरादून

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
UJVNL
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्याः 233/यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु0–03/एम–4/कालिन्दी दिनांक 21.4.16

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन सं0 3728/यूजेवीएन लि/05/औ0सं0/एम–4 दिनांक 19.04.2014 के अनुक्रम में श्री सतीश कुमार जैन, मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा दी गई लिखित सहमति दिनांक 14.12.2015 के दृष्टिगत **कालिन्दी हास्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीटयूट, जीवन गढ़ लाईन, चकरौता रोड़, विकासनगर (देहरादून)** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

2. उक्त चिकित्सालय कार्यालय ज्ञापन सं0 3728/यूजेवीएन लि/05/औ0सं0/एम–4 दिनांक 19.04.2014 के साथ संलग्न दर सूची में दर्शाई गई दरों पर पूर्व की भांति **15 (पन्द्रह) प्रतिशत** छूट प्रदान करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। पूर्व में दर सूची में क्रमांक 257 पर उल्लिखित उपचार से सम्बन्धित संलग्न दरों (जो पूर्व दर सूची में सही रूप से अंकित नहीं हो पाई थी) को भी अनुमोदित किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 4452–ओस–17/पाकालि/2002–।।(।।)एफ/80 दिनांक 09.12.2002 के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता निम्न बिन्दुओं पर कभी भी समाप्त की जा सकती हैं एवं उक्त आदेश के बिन्दु 06 की व्यवस्था के अनुसार चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा प्रदत्त दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पारित प्रतिबंधों/शर्तो का उल्लघंन करने पर मान्यता समाप्त किये जाने की सहमति **(प्रारूप संलग्न)** रू0 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।

   1. किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत का समाधान न होने पर।
   2. दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, किन्तु वह अस्पताल के बिल में सम्मिलित हैं। यह मान्यता का उल्लघन माना जायेगा।
   3. अगर अस्पताल पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता हैं, तो उसकी मान्यता तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।
   4. अगर किसी अस्पताल के विरूद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आती हैं, तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
   5. यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्गत मान्यता सम्बन्धी आदेश की किसी भी बिन्दु की अवहेलना करने पर अस्पताल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

4. उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत रहेगें।

5. चिकित्सालय द्वारा निम्न चिकित्सकीय सुविधाओं को सम्मिलित किये जाने के लिये अलग से कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

1- Dental Care
2. Dialysis Facility with the help of fully automatuic and highly equipped set up with six machines.
3. Dermatology (Skin Care)
4. Neuro & spine Surgery

A.E.(IT) Pl. upload on website
22/4/16 SM-IT

(signature) 21/4/16

निदेशक (मा0सं0)

क्रमशः........2

Note:- **Clarification of Code no.257 Gynaec of our previous contract**

S.No.	Specialty	Procedure Name	ALOS	General Ward	Semi Private Ward	Private Room	Deluxe Roon
1	Gynaec	Normal Delivery	1	10,000.00	12,000.00	14,000.00	18,000.(
2	Gynaec	Low Forceps+ Normal delivery	1	14,000.00	16,000.00	18,000.00	22,000.(
3	Gynaec	Lower Segment Caesarean Section	1	24,000.00	26,000.00	28,000.00	32,000.(
4	Gynaec	Normal delivery with epiziosty and P repair	1	12,000.00	14,000.00	16,000.00	20,000.(
5	Gynaec	Pre-eclampsia + Casearean Delivery	1	26,000.00	28,000.00	30,000.00	34,000.(
6	Gynaec	Pre-eclampsia + Normal Delivery	1	14,000.00	16,000.00	18,000.00	22,000.(

2/4/16

(पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा)
विभागीय अधिकारी
मानव संसाधन विभाग
यूजेवीएन लि०, देहरादून

KALINDI HOSPITAL & RESEARCH INSTITUTE ★ VIKASNAGAR